देश में लॉजिस्टिक्स पार्क का सबसे बड़ा गढ़ बनेगा यूपी

केंद्र सरकार की योजना के तहत यूपी मानक पूरा करने में सबसे आगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भविष्य में लॉजिस्टिक्स पार्क का सबसे बड़ा गढ़ बनेगा। 1000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश वाली मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजना इस लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत सरकार द्वारा देश में भारत माला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीपीपी मोड पर विकसित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी हर मानक पर खरा उतरता है।

प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति-2024 के क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल संस्था बनाया गया है। एक हजार करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश वाली मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) परियोजना का लाभ लेने के लिए आवेदक इकाई को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 या फॉर्च्यून इंडिया 500 में सूचीबद्ध होना चाहिए। या आवेदक इकाई द्वारा परियोजना के लिए राज्य में न्यूनतम 100 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की क्षमता होनी चाहिए। आवेदक इकाई को प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। नई नीति का लाभ उस इकाई को मिलेगा जो निवेश की तारीख से पांच वर्ष के अंदर संचालन शुरु कर दे।

सफलता के मानक

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह उपभोग केंद्रों और इण्डस्ट्रियल क्लस्टर के कितने नजदीक है। इसके लिए बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की सफलता रेल, रोड व एयर फ्रेट से नजदीकी पर भी निर्भर करती है।

ऐसी परियोजनाओं को 30 प्रतिशत की अप-फ्रन्ट लैण्ड सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों अथवा राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा लीज पर आवंटित भूखण्ड पर दी जाएगी। सब्सिडी आवंटन के समय (स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) निर्धारित वास्तविक आवंटन मूल्य पर दी जाएगी।

इकाई को अन्य गैर-लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए जमीन के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 30 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति होगी। इस नीति की व्याख्या में किसी स्पष्टता की आवश्यकता होने की स्थिति में, उप्र एफडीआई नीति-2023 के अंतर्गत गठित प्राधिकृत समिति (ईसी) से परामर्श किया जाएगा। ब्यूरो